

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या: 1917 / VII-1 / 130-ख / 2013
देहरादून : दिनांक: 23 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 तथा उसमें संशोधन दिनांक 22 मार्च, 2013 की व्यवस्थानुसार 'कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित उपखनिज क्षेत्रों एवं निदेशक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त क्षेत्रों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के क्रम में जिसमें मा0 न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से निस्तारित कराया जाय। निविदाओं के माध्यम से आने वाले आवेदकों से खनिज लाटों के आवंटन से निष्पक्ष रूप से उपखनिज क्षेत्र आवंटित हो सकेगा और ऐसा आवंटन प्रतियोगिता के आधार पर निविदा के माध्यम से किये जाने पर राज्य को राजस्व के रूप में राजस्व की अधिकतम प्राप्ति होगी, और उक्त व्यवस्था से निष्पक्ष रूप से खनिज पट्टा आवंटन संभव हो सकेगा और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का भी पालन हो सकेगा।

2- दिनांक 11 मार्च, 2013 को मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2012 के द्वारा निगमों को आवंटित लॉटों में से 5.00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए जिले स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति, जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा 5.00 हैक्टेयर से ऊपर के लिए राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा निजी व्यक्तियों को Tender के माध्यम से आवंटित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इसी प्रकार निगमों द्वारा छोड़े गये लॉटों की पर्यावरणीय स्वीकृति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा करवाते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा घोषित 5.00 हैक्टेयर तक के खनन लॉट जनपद स्तर पर जनपद के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा 5.00 हैक्टेयर से ऊपर तक के खनन लॉट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तथा निजी व्यक्तियों को टेण्डर के माध्यम से आवंटित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2013 में की गयी है।

3- खुली प्रतिस्पर्धा निविदा के माध्यम से कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित राजस्व क्षेत्रों के उपखनिज क्षेत्रों एवं निदेशक द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्राप्त राजस्व क्षेत्रों को निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन चुगान हेतु स्वीकृत किये जाने तथा निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन लॉट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् प्रक्रिया अपनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

जनपद एवं राज्य के स्थायी निवासियों एवं उनकी कोपरेटिव सोसाइटी, जिनका उद्देश्य खनन कार्य को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं राज्य को खनन माफियाओं की भागीदारी से मुक्त करने के दृष्टिगत एक व्यक्ति एक खनन पट्टा या एक समिति एक खनन पट्टा के सिद्धान्त के आधार पर निम्नानुसार आवंटित किये जायेंगे :-

- (क) पाँच हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल हेतु जिस जनपद में उपखनिज लॉट अवस्थित हो उस जनपद के स्थायी निवासी या जनपद के स्थायी निवासियों की समिति जो उत्तराखण्ड कॉपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) पाँच हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हेतु राज्य के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति जो उत्तराखण्ड कॉपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

4- राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से नियम-71 के अधीन गठित समिति :- उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-71 के अन्तर्गत अधीन गठित समिति को राज्य सरकार की ओर से सफल निविदाकारों को चयन करने, बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने, अपात्र निविदाकारों की निविदाएँ निरस्त करने, निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय निविदाएँ खोलने, निविदा की स्वीकृति के अधिकार होंगे। उक्त समिति निम्नानुसार होंगी :-

(क) राजस्व क्षेत्रों में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉटों हेतु समिति :-

प्रबन्ध निदेशक सम्बन्धित निगम	- पीठासीन अधिकारी।
जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के प्रतिनिधि	- सदस्य।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित	
जिला स्तरीय अधिकारी	- सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	- सदस्य।
सम्बन्धित निगम का महा प्रबन्धक	- सदस्य सचिव।

(ख) निगम के लॉटों के अतिरिक्त अन्य राजस्व लॉटों हेतु 50 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के राजस्व लॉटों हेतु समिति :-

जिलाधिकारी	- पीठासीन अधिकारी।
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	- सदस्य।
जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित	
जिला स्तरीय अधिकारी	- सदस्य सचिव।

(ग) निगम के लॉटों के अतिरिक्त अन्य राजस्व लॉटों हेतु 50 हैक्टेयर से अधिक के राजस्व लॉटों हेतु समिति :-

निदेशक	- पीठासीन अधिकारी।
जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के प्रतिनिधि	- सदस्य।
राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त सेवा का अधिकारी	- सदस्य।
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित जिला	
स्तरीय अधिकारी	- सदस्य सचिव।

5- निर्धारित मात्रा-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अधीन प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति, स्वीकृति के अनुसार ही निर्धारित मात्रा का प्रत्येक वर्ष चुगान एवं खनन में दी गई शर्तों के अधीन करेगा (मानसून अवधि को छोड़कर)।

या

खनन लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी० में) X अनुमत गहराई (समय-समय पर निदेशक द्वारा घोषित) X 1.9 (बल्क डेन्सिटी)।

जिन क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुमति में मात्रा निर्धारित होगी वही मान्य होगी।

6- आधार मूल्य - निविदा हेतु खनन क्षेत्र का आधार मूल्य निम्नानुसार निर्धारित होगा :-

{रायल्टी की दर + अन्य व्यय (जिसमें पर्यावरण अनापत्ति व्यय, निधि की धनराशि, रीवर ट्रेनिंग, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मार्ग शुल्क, ट्रांजिट फीस, लाभांश, सीमांकन शुल्क, जलोनी लकड़ी व्यय, श्रमिक कल्याण व्यय, निगम के व्यय यदि कोई हो आदि सम्मिलित होंगे)} X निर्धारित मात्रा।

उक्त आधार मूल्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा, उपखनिज के मूल्य की एकरूपता के दृष्टिगत एक ही आधार मूल्य निर्धारित होगा।

7- पट्टे की अवधि :- इस आधार पर निर्धारित किया जा रहा है कि राज्य में माह जून, 2013 में आयी भीषण आपदा के दृष्टिगत राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के पुनर्निर्माण में उपखनिज की मांग के अनुरूप निर्वाधित रूप से उपखनिज की आपूर्ति, निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने सुरक्षित धन की वापसी सुरक्षित करने, क्षेत्र में एक वर्ष में अधिक से अधिक मात्रा का अवैज्ञानिक तरीके से खनन/घुगान न होने के दृष्टिगत एक वर्ष के स्थान पर पट्टे की पंजीकरण की दिनांक से 3 वर्ष या सितम्बर, 2016 जो भी पहले हो।

9- किन्हीं कारणों से जिन-जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिलाधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की जाती है जिसमें आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं होने की दशा में निदेशक की अनुमति के उपरान्त अनुमति शासन द्वारा वापस ली जायेगी। ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत जमा प्रतिभूति राशि तथा अग्रिम किस्त आवेदक को दो माह के अन्तर्गत वापस कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई तो तदनुसार निविदित मूल्य के अनुरूप आगणन कर धनराशि जमा करायी जायेगी।

10- खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित खान अधिकारी/खान निरीक्षक से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जायेगी।

विज्ञापितकरण, निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1- विज्ञापितकरण-

नदी तल उपखनिज क्षेत्रों को निविदा द्वारा खनन पट्टे पर व्यवस्थित किये जाने हेतु न्यूनतम 21 दिन का समय देते हुए विज्ञापितकरण कर निविदा आमंत्रित की जायेगी।

2- क्षेत्र का विवरण-

क्र० सं०	तहसील	खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम	खसरा सं० / गादा सं०	खनन लॉट का क्षेत्रफल (हे० में)	निर्धारित मात्रा (घनमीटर में) प्रतिवर्ष	आधार मूल्य (रु० में) प्रतिवर्ष	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08

3- निविदा हेतु निर्वहन-

1. निविदाकर्ता क्षेत्र की निविदा डाले जाने से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर खनन क्षेत्र की स्थिति तथा खनिज के सम्बन्ध में जानकारी से अपने को आश्वस्त कर ले।
2. किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है एवं जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
3. कोपरेटिव सोसाइटी के मामलों में भी पट्टा प्राप्त करने वाली कोपरेटिव सोसाइटी में Common निदेशक नहीं होने चाहिए। कोपरेटिव सोसाइटी में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र भी निविदा का आवेदन देने के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि पट्टा निष्पादन के उपरान्त उपरोक्त तथ्य सामने आता है तो उक्त पट्टा निरस्त करते हुये अग्रिम जमा धनराशि, प्रतिभूति धनराशि आदि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अपात्र कोपरेटिव सोसाइटी को आगामी पाँच (05) वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

4- निविदा प्रपत्र प्रारूप एवं शुल्क-

प्रत्येक निविदाकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बिना वापसी का निविदा शुल्क/निविदा प्रपत्र मूल्य रु० 5000 लेखाशीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क+13.5 % वैट अर्थात् रु० 675 लेखा शीर्षक 0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहण ट्रेजरी चालान के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के कोषागार में जमा कर निविदा प्रपत्र एम०एम०-17 प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र), एम०एम०-17 प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा) प्राप्त किये जायेंगे।

5- निविदा प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक होंगे -

- (i) आयकर के सम्बन्ध में निम्नानुसार शपथ पत्र :-
(क) आयकर विवरण up to date जमा की गई हो।
(ख) आगणित आयकर जमा किया गया है।

(ग) स्वमूल्यांकन के आधार पर आगणित आयकर जमा किया गया है।

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्रों में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी निविदाकार के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम खनन पट्टा आवंटित होता है तो वह खनन पट्टा चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

- (ii) व्यापार कर विभाग का अदेयता-प्रमाण पत्र (विज्ञप्ति से 06 माह पूर्व तक का) या अद्यतन शपथ पत्र।
- (iii) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
- (iv) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।
- (v) स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो।
- (vi) निविदाकार व्यक्ति या निविदाकार समिति के विरुद्ध खनन बकाया न होने का अद्यतन शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) या खनन अदेयता प्रमाण पत्र।
- (vii) निकासी गेट पर इलैक्ट्रॉनिक तुलाई मशीन लगाये जाने की वचनबद्धता या निकासी गेट के आस-पास अन्य कार्यरत इलैक्ट्रॉनिक तुलाई मशीन के साथ अनुबन्ध की वचनबद्धता।

6- हैसियत प्रमाण-पत्र-

1. जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी निवदित क्षेत्र के आधार मूल्य का 10 प्रतिशत के बराबर।
2. यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की तिथि से अद्यतन) निविदाकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।
3. हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

4. यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
5. हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफडीआर (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

7- बयाना धनराशि (Earnest Money)-

प्रत्येक निविदाकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बयाना धनराशि (Earnest Money) के रूप में आधार मूल्य का 02 प्रतिशत सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/जिलाधिकारी के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक में ड्रापट या बैंकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल निविदाकार को छोड़कर अन्य निविदाकारों की बयाना धनराशि (Earnest Money) को वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदाकार की बयाना धनराशि (Earnest Money) को अग्रिम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

8- निविदा द्वारा चयन प्रक्रिया-

1. निविदा का आवंटन बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से छोटे खनन पट्टा क्षेत्रफल के अनुसार एक व्यक्ति एक खनन पट्टा के सिद्धान्त के आधार पर होगा।
2. समस्त निविदाकारों में से अधिकतम निविदा (निविदित मूल्य किसी भी दशा में आधार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) देने वाले निविदाकार का ही चयन किया जायेगा।

9- भुगतान की प्रक्रिया-

निविदा में घोषित सफल निविदाकार निम्नानुसार धनराशि जमा करेगा :-

(i)- सीमांकन शुल्क :-

- (1) सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के नियम-17 में निर्धारित सीमांकन शुल्क सीमाबन्धन हेतु जमा किया जाना होगा।
- (2) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉटों में सफल निविदाकार हेतु सीमांकन शुल्क लागू नहीं होगा।

(ii)-प्रतिभूति धनराशि:-

वार्षिक सफल निविदित मूल्य को 12 समान किस्तों में विभाजित कर दो किस्तें जिलाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में बंधक उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला

सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक का सावधि जमा या बैंकर्स चैक/बैंक गारण्टी खनन पट्टा विलेख से पूर्व जमा करेगा, जिसका समायोजन अन्तिम दो माह में किया जायेगा।

(iii)—समाशोधन क्षमता (Solvency) —सफल निविदाकार को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पट्टावधि में समाशोधन क्षमता को कम नहीं करेगा।

(iv)—सफल निविदित धनराशि के भुगतान —

(एक) सफल निविदादाता प्रत्येक माह की किस्त 20 तारीख तक ट्रेजरी चालान या निगम के खाते में खनन पट्टा विलेख/एम0ओ0यू0 से पूर्व जमा करायी जायेगी।

(दो) शेष किस्तों का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक देय होगा।

(तीन) देय तिथि से एक दिन पूर्व या निर्धारित अवधि को राजकीय अवकाश होने की दशा में उसके पूर्व की तिथि निर्धारित करनी होगी।

(चार) जमा मासिक अग्रिम किस्त के सापेक्ष ही मासिक खनिजों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0-11 जारी किये जायेंगे। यदि सफल निविदाकार निर्धारित दिनांक से पूर्व एम0एम0-11 प्राप्त करना चाहता है तो आगामी भुगतान की किस्त जमा कर एम0एम0-11 प्राप्त कर सकता है।

(पांच) सफल निविदाकार द्वारा खनन संक्रियायें प्रारम्भ करने के उपरान्त आगामी माह की 20 तारीख तक अग्रिम जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक अग्रिम जमा न किये जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा किये जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

यदि नोटिस के उपरान्त भी अग्रिम जमा नहीं किया जाता है तो पुनः खान अधिकारी द्वारा 07 दिन के भीतर विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से नोटिस जारी किया जायेगा।

उक्त के उपरान्त भी यदि अग्रिम जमा नहीं किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा प्रतिभूति व अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् जब तक दोबारा नियमित कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्र को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा और उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के

राजस्व हानि को पूर्व में आवंटित सफल निविदाकार के द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र (Solvency Certificate) से वसूल किया जायेगा।

(छः) यदि खनन पट्टा निरस्त होने तथा अग्रिम जमा जल होने के उपरान्त भी कोई देयता बनती है तो खनन पट्टाधारक से पृथक से भू-राजस्व की भांति खनन राजस्व की वसूली की कार्यवाही की जायेगी और पट्टाधारक को 05 वर्ष हेतु काली सूची में डाल दिया जायेगा।

निगमों हेतु उक्त धनराशि सम्बन्धित निगम के पक्ष में निगम के दिशा-निर्देशानुसार जमा की जायेगी।

10- पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण :-

(क) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटों हेतु निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति को निगम के साथ सहमति पत्र (MOU) प्रबन्ध निदेशक के साथ किया जाना होगा।

(ख) कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित खनन लॉटों से भिन्न खनन लॉटों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जानी होगी :-

- (i) सफल निविदाकार द्वारा सीमाबन्धन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अधिकतम 15 दिन के अन्तर्गत खनन पट्टे पर धृत होने वाले क्षेत्र के सीमास्तम्भों के स्थानों को आवेदक को मौके पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सहायता से खान अधिकारी या खान निरीक्षक द्वारा (नियम-17) चिन्हित किया जायेगा।
- (ii) सीमांकित एवं चिन्हित स्थान पर सफल निविदाकार द्वारा क्षेत्र में सीमा स्तम्भों का निर्धारित मानकों (नियम-17) के अनुसार खनन क्षेत्र में खड़ा किया जाने का कार्य अधिकतम 03 दिन में पूर्ण कर खान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जायेगा।
- (iii) सीमास्तम्भों के क्षेत्र में स्थापित होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिन में बिन्दु-05 में वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के साक्ष्यों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सूचित) का आंगणन प्राप्त कर प्रपत्र एम0एम0-06 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, निर्धारित स्टाम्प (उपनिबन्धन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की सूचना) पर पट्टा विलेख निष्पादन हेतु खान अधिकारी द्वारा 07 दिन में तैयार किया जायेगा।

- (iv) खनन पट्टा विलेख जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिन में निष्पादित किया जायेगा।
- (v) जिलाधिकारी से पट्टा निष्पादन के उपरान्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सफल निविदाकार के व्यय पर होगा।
- (vi) पट्टे की अवधि की सगणना पट्टा विलेख पंजीयन की दिनांक से की जायेगी।
- (vii) यथास्थिति, खान अधिकारी द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति खान अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रहेगी। पट्टाधारक एक सत्यापित प्रति अपने पास रखेगा।

11- खनन पट्टा का हस्तान्तरण :

- (1) निविदा द्वारा चयनित खनन पट्टाधारक या निगम हेतु चयनित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में केवल परिवार के विधिक वारिस को खनन पट्टा के अवशेष अवधि हेतु हस्तान्तरित होगा।

12- पट्टा का समर्पण :

निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति या कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित नदी तल उपखनिज चुगान के खनन पट्टों हेतु निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति संचालन में उपयुक्त नहीं पाये जाने की दशा में सम्बन्धित चयनित व्यक्ति द्वारा किया गया समर्पण स्वीकार कर सकती है। इस हेतु उनके द्वारा जमा आगामी छः माह की किस्त तथा देयक राज्य सरकार को भुगतान कर समर्पण स्वीकार होगा। उक्त समर्पण में चयनित व्यक्ति का आचरण कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉट में करार की शर्तों की पालन करने में निम्नानुसार उपयुक्त रहा हो :-

- (i) निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति या कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आवंटित लॉट में निविदा द्वारा चयनित व्यक्ति/संस्था निविदा अनुबन्ध के निबन्धनों के अनुसार यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित रहा है।
- (ii) वह खनन परिहार की शर्तों के अनुसार प्रगतिशील योजना के लिए अपेक्षित कदम उठाये हो।
- (iii) वह ऐसे आवेदन करने की तिथि तक सरकार के किन्हीं देयकों के भुगतान में चूक नहीं की है तथा नोटिस अवधि की समाप्ति की तिथि



तक सभी देयकों के भुगतान का जिम्मा या तो अग्रिम नगदी में या प्रतिभूति या दोनों के समायोजन के रूप में देता है।

13- निकासी की रीति :-

- (1) खनिज परिहार धारक को नियमावली के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-11 पर खनिज निकासी करनी होगी।
- (2) परिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 की पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा कर खान अधिकारी/खान निरीक्षक से प्राप्त किया जायेगा।
- (3) खनिज परिहार धारक को खनन पट्टा क्षेत्रफल तथा निर्धारित मात्रा के आधार पर खान अधिकारी द्वारा एक समय में अग्रिम जमा के सापेक्ष प्रपत्र एम0एम0-11 की पुस्तिकायें निर्गत की जायेंगी। जिसका समायोजन खनिज परिहार धारक द्वारा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी पुस्तिकाओं का वितरण अग्रिम किस्त जमा कर किया जायेगा।
- (4) वर्षा ऋतु में (अर्थात् 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक) खनन/चुगान की सक्रियायें स्थगित रहेंगी। परन्तु समस्त देयक यथावत देय होंगे।

14-

विवरणियाँ :-

- (1) खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती मास के सम्बन्ध में आगामी माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0-12 में खान अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक बिन्दु-01 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो वह 400.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा।
- (3) खनिज परिहार धारक खनन कार्य में लगाये जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करते हुए विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (4) समस्त परिहार धारक खान नियमावली 1955 के अन्तर्गत प्रख्यापित प्रपत्रों के अनुसार दैनिक उपस्थिति पुस्तिका तैयार करेगा और सक्षम अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक त्रैमास में खान में लगाये गये श्रमिकों का नाम पता सहित राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खान अधिकारी को प्रत्येक त्रैमासिक सूचना आगामी 07 दिनों में उपलब्ध करायेगा।
- (5) बिन्दु-01 के अधीन जमा विवरणियों के आधार पर आगणन अधिकारी (खान अधिकारी) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में एक तिथि निर्धारित कर खनिज परिहार धारक से खनिज उत्पादन, खनिज निकासी, खनिज उपयोग एवं खनिज भण्डारण विक्रय के बिल, श्रमिकों की उपस्थिति, भुगतानों एवं अन्य लेखा पुस्तकों को परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु निर्धारित की जायेगी।
- (6) यदि खनिज परिहार धारक द्वारा बिन्दु-01 के अधीन जमा विवरणी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है तो आगणन अधिकारी जैसा उचित समझे जाँच

कर जमा की जाने वाली राजस्व का खनिज परिहार धारक को युक्ति युक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्धारण कर सकता है।

- (7) बिन्दु-04 के अधीन जॉच हेतु आगणन अधिकारी 15 दिन का नोटिस देते हुये खनिज परिहार धारक को स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (जिसको उक्त तिथि हेतु अधिकृत खनिज धारक द्वारा लिखित में किया जाय) को उपस्थित होकर विगत पाँच वर्षों के लेखे वही, उत्पादन, निकासी के आकड़ों सहित प्रस्तुत कर अभिलेखों की पुष्टि करायेगा।
- (8) बिन्दु-05 के अधीन जॉचोंपरान्त आगणन अधिकारी समस्त पहलुओं का परीक्षण एवं साक्ष्य के अनुसार राजस्व भुगतान के आदेश अपने स्तर से ऊपर के स्तर के विभागीय खनन प्रशासन के अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त आदेश निर्गत करेगा।
- (9) यदि खनन परिहार धारक आगणन अधिकारी द्वारा आगणित किये गये आंकलन से संतुष्ट नहीं हैं तो वह 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित आधारों हेतु आगणन अधिकारी के समक्ष पुनः आगणित किये गये आंकलन को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(I) खनिज परिहार धारक को आंगणन के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(II) खनिज परिहार की युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

यदि आगणन अधिकारी खनिज परिहार धारक की उक्त बातों से संतुष्ट होता है तो पुनः आगणन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के आधार पर कर सकता है।

यदि आंगणन अधिकारी को पुनः आंगणन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह पुनः आंगणन प्रारम्भ कर सकता है।

- (10) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष में खनन परिहार क्षेत्र से खनिज की निकासी अधिक करके कम राजस्व का भुगतान किया गया हो या रॉयल्टी की चोरी की गयी हो तो आगणक अधिकारी नोटिस देकर पुनः आगणन प्रारम्भ कर सकता है।

उक्त उपनियम के अधीन 5 वर्ष से पूर्व देय राजस्व आगणन हेतु पुनः संशोधन आगणन हेतु नोटिस नहीं दिया जायेगा।



एम0एम0-17
प्रपत्र-I (निविदा प्रपत्र)

1	खनन क्षेत्र का विवरण (जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया हो)	फोटो सत्यापित	स्वयं
2	तहसील		
3	जिला		
4	खनिज		
5	आरक्षित मूल्य		
6	निविदाकार का नाम		
	(i) निजी व्यक्ति		
	पिता का नाम/पति का नाम		
	पूरा पता		
	स्थायी पता		
	टेलीफोन नं0		
	मोबाइल नं0		
	बैंक		
	पैन कार्ड		
	(ii) कोपरेटिव सोसाइटी का नाम		
	पूरा पता		
	स्थायी पता		
	टेलीफोन नं0		
	मोबाइल नं0		
	बैंक		
	पैन कार्ड		
7	आवेदन पत्र शुल्क.....ट्रेजरी चालान सं0.....दिनांक.....		
8	अर्नेस्ट मनी का विवरण (विज्ञप्तिकरण के अनुसार)		
9	आवेदनकर्ता के खनन पट्टों का विवरण		
10	शपथ पत्रों का विवरण		
11	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजूलेशन		

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।



हस्ताक्षर


एम0एम0-17
प्रपत्र-II (वित्तीय निविदा)

1	खनन क्षेत्र का विवरण (जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया हो)	फोटो स्वयं सत्यापित
2	तहसील	
3	जिला	
4	खनिज	
5	आरक्षित मूल्य	
6	निविदाकार का नाम	
	(i) निजी व्यक्ति	
	पिता का नाम/पति का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	बैंक	
	पैन कार्ड	
	(ii) कोपरेटिव सोसायटी का नाम	
	पूरा पता	
	स्थायी पता	
	टेलीफोन नं0	
	मोबाइल नं0	
	बैंक	
	पैन कार्ड	
7	आवेदन पत्र शुल्क.....ट्रेजरी चालान सं0..... दिनांक.....	
8	शपथ पत्रों का विवरण	
9	कोपरेटिव सोसाइटी का कॉपी ऑफ रेजूलेशन	
10	आधार मूल्य (अंकों में)	
11	निविदित मूल्य (षट्को में)	
12	(निविदित मूल्य) (अंकों में)	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही एवं सत्य हैं। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई सूचना का विवरण मांगा जायेगा उसको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पढ़ ली गयी हैं और मैं उनको स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर

आज्ञा से,


(शिकशा शमी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या: 1917 / VII-1 / 130-ख / 2013
देहरादून : दिनांक: 23 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि कृपया विभागीय वेबसाईट [Http://dgm.uk.gov.in](http://dgm.uk.gov.in) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।